उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, बोकारो।

(जिला राजस्व शाखा)

दूरभाष सं0:– 06542–223691 ई–मेल:– revenue.bokaro@gmail.com

पत्रांक 207 /रा0,

प्रेषक,

अपर समाहर्त्ता,
–सह–
जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
बोकारो।

सेवा में,

अवर सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
रॉची।

बोकारो, दिनांक 19/01/2021

विषयः– श्री अफजल अनीस, ग्राम+पंचायत–कुरपनिया, प्रखंड–बेरमो, जिला–बोकारो से प्राप्त शिकायत के निवारण के संबंध में।

प्रसंगः– आपका कार्यालय पत्रांक 807, दिनांक 10.12.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में विषयगत मामले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा–15 (5) के तहत् सुनवाई कर अंतिम आदेश पारित कर दी गई है, जिसे इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

19/1/21

अपर समाहर्त्ता,
–सह–
जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
बोकारो।

न्यायालय अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, बोकारो।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा निवारण वाद संख्या–01 / 2021
(अफजल अनिस बनाम् जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं अन्य)
(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013)

[आदे]श की क्रम सं0 [औ]र तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
[1]6/1/21	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक अफजल अनिस अनुपस्थित। जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिनिधि, अंचल अधिकारी–सह–प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बेरमो उपस्थित। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि सरकार के अवर सचिव, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, रॉची का पत्रांक 807, दिनांक 10.12.2020 के माध्यम से श्री अफजल अनीस, ग्राम+पंचायत–कुरपनिया, प्रखंड–बेरमो, जिला–बोकारो ने जनवितरण प्रणाली दुकानदार श्री भरत सिन्हा के विरूद्ध आरोप लगाया गया है कि श्रीमति मंजू देवी जिनका PH राशन कार्ड संख्या–202001270843 एवं श्रीमति शीला देवी जरीडीह बाजार पूर्वी पंचायत का राशन का उठाव डीलर द्वारा किया जा रहा है, परन्तु लाभुक को नियमित रूप से राशन नहीं दिया जा रहा है, से संबंधित शिकायत पत्र दाखिल किया गया है। उक्त के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो का कार्यालय पत्रांक 58 / आ0, दिनांक 16.01.2021 द्वारा सूचित किया गया है कि उन्होंने अंचल अधिकारी–सह–प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बेरमो से जॉच कर जॉच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। अंचल अधिकारी, बेरमो द्वारा अपने जॉच प्रतिवेदन में उल्लेख है कि:– 1. अवर सचिव, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, रॉची का पत्रांक 330, दिनांक 23.09.2019 में श्रीमति मंजू देवी का PH Card संख्या–202001270843 का शिकायत में उल्लेख है, जो सही नहीं है। वर्त्तमान में श्रीमति मंजू देवी का PHH Card संख्या–202001970843 है, जो रद्द हो गया है एवं जनवितरण प्रणाली दुकानदार श्री भरत प्रसाद सिन्हा अनुज्ञप्ति संख्या 246 / 84 के विरूद्ध यह आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा PHH Card के लाभुकों को सिर्फ एक माह का राशन दिया है, जबकि लाभुक द्वारा चार–पॉच माह से राशन का उठाव हीं नहीं किया गया है तथा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि जनवितरण प्रणाली दुकानदार श्री भरत प्रसाद सिन्हा, अनुज्ञप्ति संख्या 01 / 2018 के वितरण पंजी के अनुसार लाभुक के द्वारा माह फरवरी एवं मार्च 2020 के राशन का उठाव किया गया है इसके पश्चात उनके द्वारा माह जुलाई एवं अगस्त 2020 के राशन का उठाव क्रमशः दिनांक 25.07.2020 एवं 20.08.2020 को किया गया है। जॉच में स्पष्ट है कि अप्रैल 2020 से माह जून 2020 तक के अवधि का राशन का उठाव लाभुक द्वारा नहीं किया गया है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का यह भी कहना है कि जनवितरण प्रणाली दुकानदार के द्वारा बताया गया कि किसी भी लाभुक को राशन वर्त्तमान एवं विगत माह का ही दिया जा सकता है। इसके पूर्व के माह का राशन लाभुक को दिया जाना संभव नहीं है। इसी वजह से लाभुक को माह अप्रैल एवं जून 2020 की अवधि का राशन नहीं दिया जा सका है।	

16/1

ादेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहि

2. PHH Card संख्या–202001971019 के लाभुक बेली देवी के कार्ड के विरूद्ध यह आरोप लगाया गया है कि जनवितरण प्रणाली दुकानदार अनुज्ञप्ति संख्या–01/17 के द्वारा लाभुक को माह अगस्त 2020 एवं सितम्बर 2020 के लिए सिर्फ अगस्त 2020 का ही राशन का उठाव किया गया था। इस संबंध में अंचल अधिकारी–सह–प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बेरमो द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि लाभुक के द्वारा माह अगस्त 2020 तथा सितम्बर 2020 के विरूद्ध प्रत्येक माह 20–20 किलोग्राम राशन का उठाव किया गया है, जो ऑनलाईन कार्ड होल्डर Transaction में तथा लाभुक के पास उपलब्ध कार्ड में 20–20 किलोग्राम का राशन का उठाव अंकित है। जॉच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि शिकायतकर्त्ता अफजल अनीस ग्राम+पंचायत कुरपनिया, प्रखंड–बेरमो द्वारा द्वारा लगाया गया आरोप निराधार है।

अतः तथ्यों के आलोक में प्रतीत होता है कि शिकायतकर्त्ता अफजल अनीस द्वारा जनवितरण प्रणाली विक्रेता पर लगाये गये आरोप असत्य एवं निराधार है।

इसी आधार पर इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो एवं विशेष कार्य पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग को सूचनार्थ भेजें।
लेखापित एवं संशोधित।

16/1/21

अपर समाहर्त्ता, बोकारो
–सह–
जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
बोकारो।

16/1/21

अपर समाहर्त्ता, बोकारो।
–सह–
जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
बोकारो।